



2026:AHC:127834

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 20029 वर्ष 2026

अर्थक प्रताप सिंह

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदकगण के अधिवक्ता :हरे राम पांडेय

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता :शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, वाद अपराध संख्या 96 वर्ष 2026, धारा 2(ब)(i), 2(ब)(xi) एवं 3(1), उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना-कोतवाली, जनपद-गोरखपुर के अंतर्गत, आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आगे आवेदक की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध केवल एक मामला दर्शाया गया है और उक्त मामले में आवेदक पहले से ही जमानत पर है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त का समुचित स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना पत्र के अनुच्छेद संख्या 20 में दिया गया है।
4. उन्होंने आगे कहा कि विचाराधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के विरुद्ध लोक व्यवस्था भंग करने तथा अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक अथवा इसी प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त करने संबंधी आरोप अस्पष्ट हैं। आगे यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 2 में प्रदत्त "गैंग" तथा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"गैंगस्टर" शब्दों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले किसी कार्य या चूक के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप न होने की स्थिति में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट संधारणीय नहीं है। वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट लंबित आपराधिक मामले अथवा मामलों के आधार पर दर्ज की गई है, न कि किसी नए आरोप अथवा ऐसे नए तथ्य की खोज के आधार पर, जिसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो, जिसके उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया था।

5. उन्होंने यह भी कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग प्रतिशोध लेने, नागरिकों को उत्पीड़ित या भयभीत करने अथवा राजनीतिक या अन्य कारणों से हिसाब बराबर करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता।

6. उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अच्छा कार्य प्रदर्शित करने, प्रशंसा प्राप्त करने अथवा सरकार या सत्तारूढ़ दल के उच्च अधिकारियों से सराहना प्राप्त करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रावधान लागू किए हैं, जो कि अनुचित है।

7. उन्होंने यह भी कहा कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह विश्वास करने के युक्तिसंगत आधार हैं कि आवेदक गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत आरोपित अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह कोई अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जमानत पर रहते हुए आवेदक कोई अपराध अथवा दण्डनीय कृत्य नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने अथवा गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 18.05.2026 से इस मामले में कारागार में निरुद्ध है तथा ऐसी कोई आशंका नहीं है कि यदि आवेदक को जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है तो वह विधि की प्रक्रिया से फरार हो जाएगा अथवा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा। साथ ही, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री इतनी प्रबल नहीं है कि उससे यह अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में उल्लिखित अपराध का दोषी है।

9. इन परिस्थितियों में आवेदक जमानत का अधिकारी है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने के अनुरोध का विरोध किया, किन्तु निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि गैंग चार्ट में उल्लिखित मामले में आवेदक पहले से ही जमानत पर है। तथापि, उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक एक गिरोह का सदस्य है

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा अपराध करने का अभ्यस्त है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह पुनः इसी प्रकार की समाज-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाएगा तथा अभियोजन पक्ष के साक्षियों को धमकाकर एवं भयभीत करके जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

11. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) निम्नवत् है—

"(4) संहिता में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का अभियुक्त कोई भी व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, तब तक जमानत पर अथवा निजी बंधपत्र पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि—

(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो; तथा

(ख) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि यह विश्वास करने के युक्तिसंगत आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।"

12. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री, गैंग चार्ट में उल्लिखित अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्त-आवेदक के आपराधिक इतिहास पर विचार किया है।

13. **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के. ए. नजीब, (2021) 3 एस.सी.सी. 713** में यह प्रतिपादित किया गया कि अनेक निर्णयों में यह माना गया है कि संविधान के भाग-III द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के संरक्षण के दायरे में केवल विधिसम्मत प्रक्रिया और निष्पक्षता ही नहीं, बल्कि न्याय तक पहुँच तथा शीघ्र विचारण का अधिकार भी सम्मिलित है। सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी रिप्रेजेंटिंग अंडरट्रायल प्रिजनर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में यह कहा गया कि विचाराधीन बंदियों को विचारण लंबित रहने के दौरान अनिश्चितकाल तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। आदर्श रूप से किसी भी व्यक्ति को उसके किसी कृत्य के प्रतिकूल परिणाम तब तक नहीं भुगतने चाहिए, जब तक कि वह किसी निष्पक्ष न्यायनिर्णायक के समक्ष सिद्ध न हो जाए। तथापि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिक परिस्थितियों में, जहाँ प्रभावी विचारण सुनिश्चित करने तथा विचारण लंबित रहने के दौरान किसी संभावित अपराधी के स्वतंत्र रहने से समाज को उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने की आवश्यकता होती है, वहाँ न्यायालयों का यह दायित्व होता है कि वे यह निर्णय लें कि किसी व्यक्ति को विचारण लंबित रहने के दौरान रिहा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जाना चाहिए या नहीं। जब यह स्पष्ट हो जाए कि समयबद्ध विचारण संभव नहीं है और अभियुक्त पर्याप्त अवधि तक कारावास में रह चुका है, तब सामान्यतः न्यायालयों का दायित्व होगा कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

14. उपर्युक्त वर्णित पक्षकारों की दलीलों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य तथा दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2018) 3 एस.सी.सी. 22 तथा सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 5191 वर्ष 2021 में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

15. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक अर्थक प्रताप सिंह को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक इस आशय का एक अभिवचन प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए तिथि नियत हो तथा साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, उस दिन वह किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-क अथवा भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा उद्घोषणा में नियत तिथि पर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-क अथवा भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा—(1) वाद के प्रारम्भ की तिथि, (2) आरोप निर्धारण की तिथि, तथा (3) दण्ड

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रक्रिया संहिता की धारा 313 अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन की तिथि। यदि विचारण न्यायालय की राय में इन तिथियों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने तथा विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

16. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, वह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

कीर्ति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।